चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/ 9031
दिनांक : 23/11/2020

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या–975/79–वि–1–14–1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन जी0एस0 मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पिलखुवा, जिला–हापुड़ को चिकित्सा संकायान्तर्गत एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम (150 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन शैक्षिक सत्र 2019–20 (दिनांक 01.07.2019) से पाठ्यक्रम अवधि तक सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. संस्था निरीक्षण आख्या एवं भारत सरकार द्वारा वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगी।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा एम0बी0बी0एस0 में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम0सी0आई0 रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही कराई जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति दिनांक 06.08.2020 के आलोक में जी0एस0 मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पिलखुवा, जिला–हापुड़ को चिकित्सा संकायान्तर्गत एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम (150 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन शैक्षिक सत्र 2019–20 (दिनांक 01.07.2019) से पाठ्यक्रम अवधि तक सम्बद्धता की स्वीकृति उपरोक्त शर्तो के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, जी0एस0 मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पिलखुवा, जिला–हापुड़ ।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
4. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव

SAM 2 (54)